पत्र संख्या-ए।परि०9-1040।00 मं० सा०-1549

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक

श्री आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उप-आरक्षी महानिरीक्षक,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला आरक्षी अधीक्षक,
सभी जिला उप-विकास आयुक्त,
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,
सभी अनुमण्डलीय उप-आरक्षी अधीक्षक।

पटना 15, दिनांक 7 नवम्बर, 1991।

विषय--मंत्रियों विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने संबंधी अनुदेश।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि पूर्व में राज्य सरकार के कई माननीय मंत्रियों से ऐसी शिकायतें मिलती रही है कि राज्य में उनके परिदर्शन के अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा सौजन्य नहीं प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी ही शिकायतें सभापति, बिहार विधान परिषद से मिली हैं कि कतिपय जिलों में उनके परिदर्शन के अवसर पर जिला मुख्यालय में जिला पदाधिकारी उपस्थित नहीं होते है और किसी विचारणीय विन्दु पर विचार-विमर्श करने हेतु बुलाये जाने पर भी जिला पदाधिकारी उपस्थित होने का कष्ट नहीं करते हैं।

2. इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि संसदीय प्रणाली में राज्य विधान मंडल के पीठासीन पदाधिकारियों का अति महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य नयाचार सूची है। इनका स्थान निम्नवत् निरूपित है:--

बिहार राज्य अनुपूर्वी, 1988

4. राज्यपाल
7. राज्य-मंत्री
10. उप-मुख्य मंत्री
14. विधान परिषद् के सभापति।विधान सभा-के अध्यक्ष।
    उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति लोकायुक्त।
15. (क) राज्य के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री
    (ख) विधान-सभा के विरोधी दल के नेता।
17. उच्च न्यायालय के प्यूने बज
18. (क) विधान परिषद् के उप-सभापति।विधान-सभा के उपाध्यक्ष।राज्य के राज्य-मंत्री।
    (ख) ऐसे महानुभाव जिन्हें मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा एवं सुविधा प्त है।
19. (क) राज्य के उप-मंत्री
    (ख) ऐसे महानुभाव जिन्हें उप-मंत्री स्तर का दर्जा या सुविधा प्राप्त है।

3. यह भी उल्लेख
अन्य विशिष्ट व्यक्तियों
किये जा रहे हैं। इस
एक प्रति सरल निदेशक
जनवरी 1991 द्वारा भी
उपर्युक्त विशिष्ट महानुभ
है कि उक्त अनुदेश को

4. अतः अनुरोध
सौजन्य प्रदर्शित करने
पर कड़ी कार्रवाई की

प्रतिलिपि--सभी
सूचनार्थ प्रेषित।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि मंत्री, राज्य विधान परिषद् के सभापति, राज्य विधान-सभा के अध्यक्ष तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के परिदर्शन काल में सौजन्य प्रदर्शित करने के संबंध में समय-समय अनुदेश परिचारित किये जा रहे हैं। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1090, दिनांक 8 नवम्बर 1983 के साथ अनुलग्न अनुदेश की एक प्रति सरल निदेशक के लिये पुनः संलग्न की जा रही है। इस विभाग के परिपत्र संख्या-353, दिनांक 24 जनवरी 1991 द्वारा भी इस विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए इस तथ्य को ठहराया गया है कि उपर्युक्त विशिष्ट महानुभावोंके प्रति, परिदर्शन काल में अवश्य सौजन्य प्रदर्शित किये जाय पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अनुदेश को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है जिसके फलस्वरूप शिकायतें प्राप्त हो रही है।

4. अतः अनुरोध है कि विधान मंडल के पीठासीन पदाधिकारी, मंत्रीगण तथा अन्य विशिष्ट महानुभावों के प्रति सौजन्य प्रदर्शित करने संबंधी उपर्युक्त परिपत्र का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन,

आर० यू० सिह,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या-1549

पटना 15, दिनांक 7 नवम्बर, 1991 ई०।

प्रतिलिपि—सभी मंत्रियों के आप्त सचिव।सचिव, विहार विधान परिषद्।सचिव, बिहार विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

रमणी मोहन ठाकुर
सरकार के उप-सचिव।